

न्यायमूर्तिगण सुखदेव सिंह कंग वि जय सिंह सेखों के समक्ष

सत पाल एंड कंपनी, अंबाला, - याचिकाकर्ता

बनाम

उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा सेक्टर 17, चंडीगढ़ और अन्य, - प्रतिवादी।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 3947

2 अगस्त, 1989.

वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961-धारा 44 AC और 206C -भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 19: (एल)(जी) - 7वीं अनुसूची, प्रविष्टियाँ 8 और 51, सूची 2 - 7वीं अनुसूची, प्रविष्टि 82, सूची I - अनुमानित आधार पर स्रोत पर कर - देशी शराब ठेकेदारों को मुनाफे पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया अनुमानित आधार पर बिक्री-मूल्य के 40 प्रतिशत को लाभ के रूप में मानकर और ऐसे लाभ के 15 प्रतिशत की दर से आयकर वसूल कर - डिस्टिलरीज को ऐसे कर को इकट्ठा करने और जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया - एस.एस. की प्रयोज्यता। देशी शराब ठेकेदारों को 44 एसी और 206 सी - आईएमएफएल के ठेकेदारों के साथ भेदभाव नहीं करता - एस.एस. 44 एसी और 206 सी संविधान के अंतर्गत हैं।

अभिनिर्धारित किया कि (1) संसद धारा 44 एसी और 206 सी को अधिनियमित करने के लिए सक्षम थी। इन धाराओं के तहत लगाया गया कर आय पर कर है न कि खरीद पर।

(2) नीचे दी गई धारा 44 एसी धारा 28 से 43 सी और 206 सी का सहायक है। यहां तक कि देशी शराब ठेकेदारों का भी धारा 28 से 43 सी के प्रावधानों के अनुसार देशी शराब में उनके व्यवसाय के संबंध में मूल्यांकन किया जाना है। इस प्रकार, पढ़ें, धारा 44 एसी किसी भी संवैधानिक कमजोरी से ग्रस्त नहीं है।

(3) धारा 206सी द्वारा प्रदान किए गए स्रोत पर कर का संग्रह खरीद मूल्य से संबंधित है, न कि उसके आय घटक से।
(पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया कि देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब अलग-अलग विशेषताओं वाली अलग-अलग वस्तुएं हैं। देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी अलग-अलग की जाती है। वे समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करते हैं। दोनों प्रकार की शराबों में अल्कोहलिक शक्ति अलग-अलग होती है। दोनों की कीमतों में काफी अंतर है। दोनों शराब दो अलग और अलग वर्गों में आती हैं। वर्गीकरण में प्रत्यक्ष है।

प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ सांठगांठ, यानी, नशीले पदार्थों के व्यापार का विनियमन और राज्य के लिए राजस्व की कमाई। इस प्रकार देखा जाए तो, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं का विवादित वर्गों पर हमला भी विफल रहता है।

(पैरा 12)

ए. संन्यासी राव और अन्य. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1989) 178 आईटीआर 31 एपी

(पालन किया)

आईटीके अबूबकर और अन्य बनाम भारत संघ (1989)177 आईटीआर 358 केरा

(असहमति)

Sat Pal & Co., v. Excise and Taxation Commissioner, Haryana,
Sector 17, Chandigarh and others (Sukhdev Singh Kang, J.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें: -

- (i) उत्तरदाताओं से मामले के रिकॉर्ड मंगवाएँ और उनका अवलोकन करने के बाद;
- (ii) आयकर अधिनियम की धारा 44 एसी के प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करें और आयकर अधिनियम की धारा 206सी और 276 बी को असंवैधानिक अधिकारातीत, अशक्त और शून्य घोषित करें;
- (iii) परमादेश की प्रकृति में उत्तरदाताओं को आयकर के विवादित प्रावधानों के अनुपालन में कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश जारी किया गया है और साथ ही उत्तरदाताओं नंबर 1 को दिनांक 30 मई, 1988 के पत्र के अनुसार वसूली और कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी ;
- (iv) पीएल/1 और पी/2 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट ;
- (12) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवा से मुक्ति;
- (vi) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका की लागत का फैसला करना;
- (vii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे;

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44, एसी, 206 सी, 276 बीबी के प्रावधानों का संचालन और प्रवर्तन

और प्रतिवादी संख्या 1, दिनांक 30 मई, 1988 द्वारा जारी किए गए अनुबंध पी/1 पर इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका के अंतिम निपटान तक न्याय के हित में रोक लगाई जाए।

सीएम क्रमांक 9868/89:-

स्वीकृत रिट याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से धारा 151 सीपीसी के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना करते हुए प्रार्थना की गई है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पहले ही पारित स्थगन आदेश को प्रतिवादी के रूप में डिस्टिलरीज को शामिल करने के बाद जारी रखा जा सकता है।

3. हरियाणा डिस्टिलरी, यमुनानगर, जिला, अम्बाला अपने महाप्रबंधक के माध्यम से;
4. एसोसिएट डिस्टिलरी, हिसार अपने महाप्रबंधक के माध्यम से; और
5. पानीपत सहकारी डिस्टिलरी अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से;

और आवेदन को न्याय के हित में अनुमति दी जा सकती है।

धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि 6 जून 1989 के आदेशों को कृपया स्पष्ट / संशोधित किया जाए और आवेदकों के हितों की रक्षा के लिए उचित आदेश पारित करके उस सीमा तक रोक लगाई जाए ताकि कोई दायित्व न हो। आय के तहत आवेदकों पर तय किया गया कर अधिनियम, यदि लाइसेंसधारियों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया जाता है और / या उनसे या उनके नौकरों से कर की वसूली नहीं की जाती है जो स्थगन आदेश के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी परमिट पर आते हैं और शराब प्राप्त करते हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहन जैन।

एस. मलिक, अतिरिक्त. एडवोकेट जनरल. (हि.), उत्तरदाताओं के लिए।

भारत संघ के लिए अधिवक्ता आर. एस. चाहर

मैसर्स एस.सी. सिब्बल और डी.के. गुप्ता, डिस्टिलरीज के लिए अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति सुखदेव सिंह कंग,

(1) इन सब रिट याचिकाओं द्वारा वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) में शामिल धारा 44 एसी, 206 सी और 276बीबी की वैधता और संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

पंजाब और हरियाणा राज्यों के उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्तों द्वारा जारी किए गए निर्देशों (अनुलग्नक पी-1) पर भी आपत्ति जताई गई है, जिसमें उनके संबंधित राज्यों के भीतर स्थित डिस्टिलरीज के मालिकों/प्रबंधकों को बिक्री का 40 प्रतिशत, अल्कोहलिक शराब की कीमत मानने का निर्देश दिया गया है। मानव उपभोग के लिए (भारत निर्मित विदेशी शराब के अलावा) (इसके बाद, संक्षिप्त जानकारी के लिए, 'देशी शराब' के रूप में संदर्भित) व्यवसाय से खरीदारों (याचिकाकर्ता शराब ठेकेदारों) के लाभ और लाभ के रूप में और आयकर की वसूली के रूप में 1 जून, 1988 से खरीदारों से ऐसे लाभ और लाभ पर 15 प्रतिशत की दर खरीदार से वसूली योग्य आयकर की गणना के उद्देश्य से, एक विक्रेता को क्रेता द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क होगा। विक्रेता की ओर से देशी शराब की ऐसी बिक्री के लिए वसूले जाने वाले या वसूले जाने वाले मूल्य पर।

(2) 1989 की सिविल रिट संख्या 7 3947I तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्रस्तुत करेगी। याचिकाकर्ता पंजाब और हरियाणा राज्यों में शराब की बिक्री के व्यवसाय में लगे हुए हैं। उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा (इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में संदर्भित) ने अन्य के अलावा, वर्ष 1989-90 के लिए देश के यमुनानगर, दमरा और हरमल के कैप क्षेत्र की शराब की दुकानों की नीलामी की। उच्चतम बोली लगाने वाले याचिकाकर्ताओं को इन्हें बेच दिया गया। नियम और शर्तों और प्रचलित प्रथा के अनुसार, शराब ठेकेदार, जो अपनी दुकान पर बिक्री के लिए देशी शराब खरीदने का इरादा रखता है, को उस देशी शराब के कोटे के संबंध में देय उत्पाद शुल्क जमा करना आवश्यक है जिसे वह खरीदना चाहता है। उत्पाद शुल्क की इस जमा राशि के प्रमाण पर, उत्पाद शुल्क प्राधिकरण शराब ठेकेदार को डिस्टिलरी से देशी शराब खरीदने और उसे अपनी दुकान पर परिवहन और बेचने के लिए परमिट जारी करता है। उनके द्वारा बेची गई शराब के लिए डिस्टिलरी शुल्क सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और उनमें शराब की कीमत और बोटलबंद करने, लेबलिंग आदि पर होने वाले खर्च शामिल हैं।

(3) संसद ने वित्त अधिनियम, 1988 का 3 लागू किया आयकर अधिनियम में धारा 44 एसी, 206 सी और 276 बीबी पेश की। धारा 44 एसी के प्रावधानों को 1 अप्रैल 1988 से लागू किया गया है। जहां तक ये धाराएं हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार पढ़ें: -

“44 ए.सी. (1) एक निर्धारित कीमत के मामले में, धारा 28 से 43 सी में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद ,

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति (यहां इसके बाद इस अनुभाग में खरीदार के रूप में संदर्भित किया गया है), किसी अन्य व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा आयोजित नीलामी, निविदा या किसी अन्य मोड के माध्यम से किसी भी बिक्री में भाग लेना (यहां इसके बाद) इस अनुभाग को विक्रेता के रूप में जाना जाता है),-

- (a) मानव उपभोग के लिए मादक शराब की प्रकृति में कोई भी सामान (भारत में निर्मित विदेशी शराब के अलावा), ऐसी वस्तुओं के संबंध में खरीद मूल्य के रूप में खरीदार द्वारा भुगतान की गई राशि के चालीस प्रतिशत के बराबर राशि। ऐसे माल के व्यापार से क्रेता के लाभ और लाभ को 'व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत कर के दायरे में माना जाएगा:

बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात किसी खरीदार पर लागू नहीं होगी जहां सामान नीलामी के माध्यम से उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है और जहां खरीदार द्वारा बेचे जाने वाले ऐसे सामान की बिक्री कीमत किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत तय की जाती है;

- (b) में द्वारा निर्दिष्ट प्रकृति का कोई भी सामान प्राप्त करने का अधिकार नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में, या ऐसे सामान, जैसा भी मामला हो, उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत* के बराबर राशि, भुगतान की गई या देय राशि के बराबर है। ^ ऐसे अधिकार की बिक्री के संबंध में खरीदार या ऐसे सामान के संबंध में * खरीद मूल्य क्या होगा? ऐसे माल के व्यापार के व्यवसाय से क्रेता के लाभ और प्राप्ति को प्रभार्य माना जाएगा। शीर्ष के अंतर्गत कर ('व्यापार या पेशे का लाभ और प्राप्ति')
मेज़

| संख्या | माल की प्रकृति | प्रतिशत |
|--------|--|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| (i) | वन पट्टे के तहत प्राप्त इमारती लकड़ी | Thirty-five per cent, |
| (ii) | वन पट्टे के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त की गई इमारती लकड़ी | Fifteen per cent |
| (iii) | कोई अन्य वन उपज जिसमें लकड़ी न हो | Thirty-five per cent, |

- (2) संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उप-

धारा (1) के प्रावधान आगे की बिक्री में किसी खरीदार (किसी ऐसे खरीदार के अलावा जो किसी विक्रेता से, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, कोई सामान प्राप्त करता है) पर लागू नहीं होंगे। उप-धारा (1) के तहत बिक्री के तहत या उसके अनुसरण में प्राप्त किसी भी सामान की।

- (3) ऐसे मामले में जहां निर्धारिता द्वारा किए गए व्यवसाय में विशेष रूप से उन वस्तुओं का व्यापार शामिल नहीं है, जिन पर यह धारा लागू होती है और जहां अलग खाते नहीं रखे जाते हैं या उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे अन्य व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यय की राशि वह राशि होगी जो निर्धारिता द्वारा किए गए व्यवसाय के कुल खर्च का वही अनुपात होता है जो ऐसे अन्य व्यवसाय के टर्नओवर का निर्धारिता द्वारा किए गए व्यवसाय के कुल टर्नओवर से होता है।

स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'विक्रेता' का अर्थ है केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या प्राधिकरण द्वारा या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित, या कोई कंपनी या

फर्मा।"

“206सी. (1) धारा 44 एसी में निर्दिष्ट विक्रेता होने के नाते, प्रत्येक व्यक्ति, उस अनुभाग में निर्दिष्ट खरीदार द्वारा देय राशि को खरीदार के खाते से डेबिट करने के समय या ऐसी राशि की प्राप्ति के समय करेगा। उक्त खरीदार से नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य माध्यम से, जो भी पहले हो, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी सामान के खरीदार से बराबर राशि एकत्र करें। उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत, उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में राशि,

Sat Pal & Co., v. Excise and Taxation Commissioner, Haryana,
Sector 17, Chandigarh and others (Sukhdev Singh Kang, J.)

मेज़

| S. No. | Nature of Goods ⁵ | Percentage |
|--------|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | Alcoholic liquor for human consumption (other than Indian-made foreign liquor) | Fifteen per cent |
| | Timber obtained under a lease forest | Fifteen per cent |
| | Timber obtained by any other than under a forest mode lease | Five per cent |
| (iv) | Any other forest forest produce not being timber | Fifteen per cent |

बशर्ते कि जहां निर्धारण अधिकारी, क्रेता द्वारा किए गए आवेदन पर, निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र देता है कि उसके सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार उपरोक्त तालिका में संदर्भित किसी भी सामान का उपयोग विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया जाना है, वस्तुओं या चीजों का प्रसंस्करण या उत्पादन करना और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं, इस उप-धारा के प्रावधान तब तक लागू नहीं होंगे जब तक प्रमाण पत्र लागू है।

- (2) उपधारा के अंतर्गत संग्रहण द्वारा कर वसूल करने की शक्ति
(1) वसूली के किसी भी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
- (3) उप-धारा (1) के तहत कोई भी राशि एकत्र करने वाला कोई भी व्यक्ति सात दिनों के भीतर एकत्रित राशि का भुगतान केंद्र सरकार के खाते में या बोर्ड के निर्देशानुसार करेगा।
- (4) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार एकत्र की गई और उप-धारा (3) के तहत भुगतान की गई किसी भी राशि को उस व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान माना जाएगा जिससे राशि एकत्र की गई है और क्रेडिट की जाएगी
इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन वर्ष के लिए किए गए मूल्यांकन में उप-धारा (5) के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र के उत्पादन पर एकत्र की गई राशि के लिए उसे दिया गया, जिसके लिए ऐसी आय मूल्यांकन योग्य है।
- (5) के अनुसार कर एकत्र करने वाला प्रत्येक व्यक्ति खाते से डेबिट या रसीद की तारीख से दस दिनों के भीतर उस खरीदार को एक प्रमाण पत्र देगा जिसके खाते से ऐसी राशि डेबिट की गई है या जिससे ऐसा भुगतान प्राप्त हुआ है। प्रभाव कि कर एकत्र किया गया है और इस प्रकार एकत्र की गई राशि, जिस दर पर कर एकत्र किया गया है और ऐसे अन्य विवरण निर्दिष्ट किए जा सकते हैं जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

- (5ए) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर संग्रह करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अर्धवार्षिक रिटर्न तैयार करेगा, और निर्धारित आय तक वितरित करेगा या कराएगा। -कर प्राधिकारी ऐसे फॉर्म में ऐसे रिटर्न और ऐसे तरीके से सत्यापित और ऐसे विवरण निर्धारित करते हुए और ऐसे समय के भीतर निर्धारित किया जा सकता है।
- (6) कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर एकत्र करने में विफल रहता है, ऐसी विफलता के बावजूद, उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के खाते में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (3).
- (7) उप-धारा (6) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि विक्रेता कर एकत्र नहीं करता है या कर एकत्र करने के बाद इस धारा के तहत आवश्यक भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे कर की राशि पर प्रति माह या उसके भाग की तारीख से जिस तारीख को ऐसा कर संग्रहणीय था उस तारीख तक जिस तारीख को कर का वास्तव में भुगतान किया गया था।
- (8) जहां उपरोक्त अनुसार कर का भुगतान नहीं किया गया है, वहां एकत्र होने के बाद, उप-धारा (7) में निर्दिष्ट साधारण ब्याज की राशि के साथ कर की राशि विक्रेता की सभी संपत्तियों पर एक शुल्क होगी।

Sat Pal & Co., v. Excise and Taxation Commissioner, Haryana,
Sector 17, Chandigarh and others (Sukhdev Singh Kang. J.)

276 बी.बी. यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(4) डिस्टिलरी द्वारा ली जाने वाली देशी शराब की कीमत राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। देशी शराब खरीदने से पहले ठेकेदार द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान भी किया जाता है। ठेकेदार को देशी शराब खरीदने का कोटा भी राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है और ठेकेदार तय कोटे से अधिक शराब नहीं खरीद सकता।

(5) यह दलील दी गई है कि आयकर दाता/निर्धारिती की आय पर आयकर देय है, जो असंख्य असंभवताओं के आधार पर साल-दर-साल भिन्न हो सकता है। शराब व्यवसाय से होने वाली आय ठेकेदार-ठेकेदार और जगह-जगह अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, जिस ठेकेदार का ठेका डिस्टिलरी के ठीक बगल में है, उसे कम ढुलाई शुल्क देना पड़ता है, जबकि जिस ठेकेदार का ठेका डिस्टिलरी से अधिक दूरी पर स्थित है, उसे परिवहन शुल्क देना पड़ता है। प्रावधान अन्यथा भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि पंजाब में शराब की कीमत कम है, ठेकेदार को कम आयकर देना पड़ता है और बिक्री मूल्य अधिक है और वास्तविक मुनाफा अधिक है। जबकि हरियाणा में शराब की कीमत अधिक है लेकिन बिक्री कीमत वही है और मुनाफा कम है। वास्तव में, अधिनियम के विवादित प्रावधान शराब ठेकेदारों द्वारा खरीदी गई शराब के खरीद मूल्य पर खरीद कर लगाते हैं। यह संसद की विधायी क्षमता से परे है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 8 और 51 के कारण राज्य विधानमंडल अकेले बिक्री, माल की खरीद और नशीले पदार्थों पर कानून बनाने में सक्षम हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 82 संसद को कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देती है। संविधान संसद को अनुमानित, अनुमानित या पूर्व-कल्पित आय पर आयकर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं करता है। विवादित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन हैं क्योंकि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यापार और कारोबार करने पर अनुचित प्रतिबंध लगाते हैं। पूरे शराब ठेकेदारों पर सिक्का-कर लगाने की मांग की गई है, हालांकि इस खरीद मूल्य को तार्किक रूप से शराब ठेकेदार की आय नहीं कहा जा सकता है, जिसने देशी शराब की खरीद मूल्य का भुगतान किया है। इस लेन-देन में उसे कोई आय अर्जित नहीं हुई है। इस खरीद मूल्य के बराबर भुगतान

खुद को मुनाफ़े या लाभ में परिवर्तित नहीं होगा। अधिक से अधिक, उसका केवल एक प्रतिशत ही लाभ के रूप में ठेकेदार के पास आ सकता है। लगाया गया कर जब्ती प्रकृति का है। प्रावधान मनमाने ढंग से सनकी हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। देशी शराब का कारोबार करने वाले ठेकेदारों को विवादित प्रावधानों के तहत आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। हालाँकि, भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री के कारोबार में लगे ठेकेदारों को छोड़ दिया गया है। अधिकतर, शराब ठेकेदार भारतीय निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब की बिक्री के लिए वेंड लाइसेंस प्राप्त करते हैं। चूंकि शराब ठेकेदार एक एकल और समरूप वर्ग बनाते हैं, इसलिए देशी शराब ठेकेदारों के खिलाफ घृणित भेदभाव किया गया है। देशी शराब के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग खरीद मूल्य तय हैं। एक ही ठेकेदार, जिसका व्यवसाय दो से अधिक राज्यों में है, को देशी शराब के व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दरों पर आयकर देना पड़ सकता है। यह फिर से अपरिहार्य भेदभाव है जिसका प्राप्त वस्तुओं यानी राजस्व संग्रह से कोई संबंध नहीं है। लाभ/आय की मात्रा मनमाने ढंग से तय की गई है और जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं रखते हुए आयकर का भुगतान करने का दायित्व बनाया गया है। धारा 44-एसी में गैर-विषयक खंड देशी शराब का कारोबार करने वाले शराब ठेकेदारों पर आयकर अधिनियम की धारा 28 से 43-सी के प्रावधानों के आवेदन को बाहर करता है। यहां तक कि अगर अनुबंध में किसी भी कारण से नुकसान होता है, तो वह यह दलील देने और दावा करने का हकदार नहीं है कि वह किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसे नुकसान हुआ है। यद्यपि उत्पाद शुल्क का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता है, फिर भी इसे खरीद मूल्य का एक घटक बना दिया गया है और इसे ठेकेदार की आय में शामिल किया गया है और उसे उस राशि पर आयकर का भुगतान भी करना पड़ता है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 240 और 258 का उल्लंघन हैं। केवल केंद्र सरकार ही आयकर एकत्र कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार और यहां तक कि राज्य सरकार के अलावा अन्य व्यक्ति भी आयकर एकत्र कर रहे हैं। देशी शराब के क्रय मूल्य पर चालीस प्रतिशत का लाभ मानने का कोई भी तर्कसंगत आधार नहीं है।⁶

(6) अन्य मामलों में भी दलीलें समान हैं। प्रारंभ में, अधिकांश रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने डिस्टिलरीज को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में कई मामलों में, डिस्टिलरीज को प्रतिवादी बनाया गया था। प्रस्ताव के स्तर पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि विवादित धाराओं के प्रावधानों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है और शराब ठेकेदारों से आयकर वसूलने के डिस्टिलरीज को निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। इस बिंदु को राजस्व के पक्ष में उपस्थित वकील द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उन्होंने प्रस्तुत किया था कि भारत संघ इन सभी मामलों के हस्तांतरण या निर्णय के लिए अंतिम न्यायालय में जा रहा था और इस कारण से, लिखित बयान भी दाखिल नहीं किए गए थे। इन रिट याचिकाओं में, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आदेशों की कार्रवाई या उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्तों पर रोक लगा दी गई थी, इस बीच, विभिन्न डिस्टिलरीज ने प्रस्ताव द्वारा पारित स्थगन आदेशों को खाली करने/संशोधित करने के लिए आवेदन दायर किए। पीठ ने इस दलील पर कहा कि आवेदक (डिस्टिलरीज) शराब ठेकेदारों से खरीद मूल्य पर आयकर वसूलने/संग्रह करने और उसे केंद्रीय खजाने में जमा करने के लिए लागू प्रावधानों के तहत बाध्य थे। याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण, डिस्टिलरीज को याचिकाकर्ता से आयकर वसूलने से रोक दिया गया था। हालाँकि, कानून के तहत, उन पर आयकर एकत्र करने का कर्तव्य था। वे संकट में थे। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश और केरल के उच्च न्यायालयों ने दो निर्णयों में ए. संन्यासी राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य (1) के रूप में रिपोर्ट की थी; (1989) और एलटीके अबूबकर और अन्य बनाम यूनियन ओ/ इंडिया (2) ने संवैधानिक वैधता और लागू प्रावधानों को बरकरार रखा और शराब ठेकेदारों और वन उपज और लकड़ी के डीलरों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। चूंकि भारी मात्रा में राजस्व शामिल था और आयकर की वसूली पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए हमने स्थगन आदेशों को हटाने और स्थगन आदेशों की पुष्टि के लिए आवेदनों की सुनवाई पहले ही करने का निर्देश दिया। उन आवेदनों की सुनवाई में, पार्टियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए, मामलों की योग्यताओं पर गौर करना होगा और इसलिए, इन आवेदनों पर निर्णय लेने के बजाय, मुख्य रिट याचिकाओं पर सुनवाई की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। मामले को देखते हुए हमने रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का फैसला किया।

Sat Pal & Co., v. Excise and Taxation Commissioner, Haryana,
Sector 17, Chandigarh and others (Sukhdev Singh Kang, J.)

(7) याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए विद्वान परामर्शदाता ने रिट याचिकाओं में बार-बार तर्क दिए, जिन्हें ऊपर निकाला गया है। इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं को ए. संन्यासी राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की हालिया डिवीजन बेंच के फैसले से मिलता है। बी.पी. जीवन रेड्डी, जे. 12

(1) (1989) 178 आईटीआर 31।

(2) (1989) 177 आईटीआर 358।

, अधिनियम के लागू प्रावधानों और इन प्रावधानों की संवैधानिकता और वैधता और संदर्भ में संबंधित पक्षों के तर्कों की सूक्ष्मता से जांच और विश्लेषण किया है। शीर्ष न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का विवाद के बिंदुओं पर असर पड़ रहा है। हम, सम्मानपूर्वक, निर्णय में व्यक्त फेलिसिटस फॉर्मूलेशन से सहमत हैं।

(8) यह प्रश्न सबसे पहले अधिनियम की धारा 44-एसी और 206-सी को अधिनियमित करने के लिए संसद की मूल क्षमता के निर्धारण की मांग करता है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 82 से आयकर प्रवाह के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। यह प्रविष्टि संसद को कृषि आय के अलावा अन्य आय के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि "सूचियों में प्रविष्टियां पॉट शक्तियां हैं लेकिन केवल कानून के क्षेत्र हैं और विभिन्न प्रविष्टियों में संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को व्यापक आयात और महत्व दिया जाना चाहिए।" इन सूचियों में प्रविष्टियां न केवल कर लगाने को अधिकृत करती हैं बल्कि ऐसे कानून भी बनाती हैं जो ऐसे करों की चोरी और अन्य आकस्मिक और परिणामी मामलों को रोकते हैं। ए. संन्यासी राव के मामले में निष्कर्ष प्रबुद्ध हैं: -

“संविधान में विधायी सूचियों की प्रविष्टियों की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड

(24) में अभिव्यक्ति 'आय' को परिभाषित किया गया है, लेकिन उस परिभाषा को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि में वापस नहीं पढ़ा जा सकता है। यहां तक कि उक्त परिभाषा भी समावेशी है और समय-समय पर इसका विस्तार होता रहा है। विभिन्न संशोधित अधिनियमों द्वारा समय-समय पर परिभाषा में कई आइटम लाए गए हैं। इसलिए, उक्त परिभाषा को सातवीं अनुसूची में सूची I की प्रविष्टि 82 में आने वाली अभिव्यक्ति 'आय' के अर्थ के रूप में संपूर्ण नहीं पढ़ा जा सकता है। निस्संदेह, इसका मतलब यह नहीं है कि जिस राशि को किसी भी तरह से 'आय' नहीं कहा जा सकता, उसे 'आय' माना जा सकता है और संसद द्वारा उस पर कर लगाया जा सकता है। इसमें आय की कुछ विशेषताएँ होनी चाहिए जैसा कि मोटे तौर पर समझा जाता है। जब तक आय के रूप में लगाई गई राशि को तर्कसंगत रूप से आय कहा जा सकता है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, संसद के लिए इसे 'आय' कहना और कर लगाना उचित है।

उस पर कर. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एसी, स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि इससे होने वाला लाभ और लाभ निर्दिष्ट वस्तुओं के व्यापार के व्यवसाय का लाभ और लाभ है। यह न केवल अनुभाग को दिए गए सीमांत नोट से स्पष्ट है, बल्कि उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में आने वाले 'ऐसे सामानों के व्यापार के व्यवसाय से' शब्दों से भी स्पष्ट है। टैक्स निःसंदेह व्यवसायिक आय पर लगता है। सुविधा के लिए और ऐसे करदाताओं के मामले में सामान्य मूल्यांकन करने में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, यह खरीद मूल्य को कर के माप के रूप में अपनाता है। इसके अलावा, संसद के पास एक प्रावधान लागू करने की शक्ति है जो कर चोरी को रोकती है। धारा 44 एसी का उद्देश्य कर चोरी को रोकना था। धारा 44 एसी और 206 सी कर चोरी विरोधी उपाय हैं। धारा 44 एसी धारा 28 से 43 सी के अनुसार निर्धारित की व्यावसायिक आय के नियमित मूल्यांकन पर रोक नहीं लगाती

है। इस सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं है कि मूल्यांकन का प्रत्येक वर्ष अपने आप में एक इकाई है। एकमात्र प्रस्थान यह है कि सामान की खरीद के समय धारा 206 सी (एल) के तहत एकत्र किया गया कर उस वर्ष में क्रेडिट किया जाएगा जिसमें वह सामान बेचा गया है। जब तक ऐसी बिक्री प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक एकत्र किया गया कर रुका रहेगा। धारा 206 सी की उपधारा (4) यही कहती है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। इसलिए, संसद धारा 44 एसी और 206 सी को अधिनियमित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी। धारा 206सी किसी संवैधानिक कमजोरी से ग्रस्त नहीं है और वैध है।”

हम उपरोक्त टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं और उसी धारणा का पालन करते हुए कि संसद अधिनियम की धारा 44 एसी और 206सी को अधिनियमित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

(9) हम इस दलील पर विचरण करेंगे कि अधिनियम की धाराएं 44 एसी डी और 2 संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 I (एल) (जी) का उल्लंघन हैं। इस बिंदु की जांच ए. संन्यासी राव के मामले (सुप्रा) में बेंच द्वारा सभी संभावित कोणों से की गई है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि धारा 44 एसी में गैर-प्रमुख खंड धारा 28 से 43 सी के प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर करता है। याचिकाकर्ताओं के मामले. भले ही बड़े पैमाने पर चोरी हो रही हो और राज्य को बहुत अधिक राजस्व की हानि हो रही हो और उसे दूर करने की आवश्यकता हो, तो उसके लिए उपाय उस बुराई के अनुपात में होना चाहिए जिसे दूर किया जाना चाहिए, यह उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर

देशी शराब ठेकेदार आयकर की चोरी कर रहा था या बेनामी नामों से कारोबार चला रहा था और फर्जी फर्म/एसोसिएशन स्थापित कर रखी थी। देश में अभी भी ईमानदार शराब ठेकेदार हैं। खरीद मूल्य के 40 प्रतिशत की दर से प्रत्येक शराब लाइसेंसधारी के लाभ और लाभ का आकलन करने का कोई आधार नहीं है। चीजों की प्रकृति में, ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं जो वास्तव में निर्दिष्ट से कम लाभ कमा सकते हैं या नुकसान उठा सकते हैं। विधेयक में खरीद मूल्य के 60 प्रतिशत की दर से लाभ और लाभ का आकलन करने का प्रस्ताव किया गया था। यह नहीं बताया गया है कि अधिनियम में इसे घटाकर 40 प्रतिशत क्यों किया गया। इन उपायों के कारण, धारा 44 एसी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। यह अनुच्छेद 19(एल)(जी) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध भी लगाता है। हालांकि, सामाजिक हित में धारा 44 एसी को खत्म करने के बजाय, इसे अनुच्छेद 14 और 19(एल)(जी) में दी गई गारंटी के अनुरूप बनाने के लिए इसे पढ़ना और इसे धारा 28 के सहायक के रूप में पढ़ना बेहतर समझा गया। 43 सी. इस संदर्भ में उनके आधिपत्य की टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयुक्त है: -

वस्तुओं में व्यापार करने वाले व्यक्तियों के मुनाफे और लाभ का विधायी मूल्यांकन करती है। सामान्य रूप से लागू प्रावधान, धारा 28 से 43 सी, पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। यह घोषित किया गया है कि उक्त व्यवसाय से प्रत्येक व्यक्ति का लाभ और लाभ, उसकी परिस्थितियों, व्यवसाय की मात्रा, वित्त, व्यय या अन्य संबंधित मामलों की परवाह किए बिना, खरीद मूल्य का निर्दिष्ट प्रतिशत माना जाएगा। निर्दिष्ट वस्तुओं में व्यापार करने वाले व्यक्ति एक वर्ग बनाते हैं, क्योंकि अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद उनका पता लगाना मुश्किल होता है। अक्सर ये ठेके फर्जी व्यक्तियों के नाम पर लिये जाते हैं। बड़े पैमाने पर कर चोरी हो रही थी और राज्य को भारी राजस्व की हानि हो रही थी। राजस्व की हानि को पाटना पड़ा। लेकिन उपाय बुराई के अनुपात में होना चाहिए। यह उचित होना चाहिए. इसे जल्दी उपाय का लक्षण नहीं मानना चाहिए। यह पर्याप्त होता यदि धारा 206सी अधिनियमित की गई होती और यह प्रावधान किया गया कि इस तरह के संग्रह नियमित मूल्यांकन के अधीन होंगे। व्यवसाय के मुनाफे और लाभ के आकलन के मामले में धारा 28 से 43सी को हटाना आवश्यक नहीं था जैसा कि धारा 44 एसी द्वारा किया गया था। प्रतिशत

Sat Pal & Co., v. Excise and Taxation Commissioner, Haryana,
Sector 17, Chandigarh and others (Sukhdev Singh Kang, J.)

धारा 44एसी(1) में संदर्भित को केवल धारा 206सी में संग्रह के स्तर को समझाने और उचित ठहराने के रूप में दर्शाया जा सकता था। एक बार जब कर एकत्र कर लिया जाता है, तो निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद कीमत के आधार पर, यह वास्तव में मायने नहीं रखता है कि व्यवसाय डमी के नाम पर, फर्जी नामों पर, या बिना साधन वाले व्यक्तियों के नाम पर किया जाता है। एकत्र किया गया कर पहले से ही राज्य के पास है। फिर कानून के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि निर्धारित कर पहले से एकत्रित कर से अधिक है, तो ऐसे संग्रहण की संभावना कम है; लेकिन, इन प्रावधानों के साथ भी स्थिति जस की तस है। यह कहने के पीछे कोई कारण नहीं है कि जहां कोई व्यक्ति वास्तव में निर्दिष्ट से कम लाभ कमाता है या हानि उठाता है, तब भी उसके लाभ और लाभ को मनमाने ढंग से खरीद मूल्य का 40 प्रतिशत तय किया जाना चाहिए, या उसे स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उक्त व्यवसाय या व्यापार से उसकी वास्तविक आया हो सकता है कि ये व्यक्ति पुस्तकों का रख-रखाव ठीक से न करते हों; लेकिन यह कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। यदि पुस्तकों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया गया है, या संदिग्ध या अस्वीकार्य हैं, तो उन्हें हमेशा अस्वीकार किया जा सकता है और सर्वोत्तम निर्णय का मूल्यांकन किया जा सकता है। सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करते समय और/या खातों की वास्तविकता निर्धारित करते समय किसी दिए गए क्षेत्र, क्षेत्र या राज्य में ऐसे व्यापार में मुनाफे के स्तर को हमेशा ध्यान में रखा जा सकता है। निर्दिष्ट वस्तुओं में भी कुछ ईमानदार व्यापारियों की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस आधार पर वित्त विधेयक के चरण में निर्दिष्ट वस्तुओं में व्यापार के लाभ और लाभ को समान रूप से 60 प्रतिशत पर आंका गया था और न ही यह स्पष्ट था कि किस आधार पर धारा 44एसी में कई आंकड़ों में प्रतिशत में बदलाव किया गया था। यह अधिरोपण असंगत है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 19(1) (जी) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध भी है। ऐसी स्थिति में, अदालत के पास धारा 44 एसी को रद्द करने या इसे अनुच्छेद 14 और 19(एल)(जी) में दी गई गारंटी के अनुरूप बनाने के लिए इसे पढ़ने का विकल्प है। धारा 206सी की उपधारा (4) में अंतर्निहित प्रावधानों और भाषा के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि धारा 44एसी को पढ़ा जाता है तो यह सार्वजनिक हित की सेवा करेगा और संसद के इरादे को आगे बढ़ाएगा। धारा 206सी प्रावधानों के तहत उद्देश्य पूरा करती है। एक बार कर एकत्र हो जाने पर, ठेकेदार

भाग नहीं सकता। संभवतः, केवल उन मामलों में जहां लाभ 40 प्रतिशत से कहीं अधिक है, वह उसे स्वयं दुर्लभ बना देगा। अन्य सभी मामलों में, वह अपनी आय के मूल्यांकन के लिए विभाग में आएगा, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके मामले में नियमित मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, धारा 44एसी को धारा 206सी के सहायक और व्याख्यात्मक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस संरचना में, धारा 44एसी धारा 28 से 43एसी के साथ दंगा निवारण करती है। धारा 44एसी(1) में गैर-अप्रत्याशित खंड, ' धारा 28 से 43सी में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद' धारा 206सी में प्रदान की गई कटौतियों को बनाए रखने के सीमित उद्देश्य तक ही सीमित होगा। लाभ और लाभ का स्तर केवल धारा 206सी में प्रदान की गई कटौती के स्तर को समझाने और उचित ठहराने के लिए प्रासंगिक होगा। धारा 206सी में निर्दिष्ट दरों पर संग्रह किया जाएगा और फिर किसी अन्य निर्धारित कीमत के मामले की तरह एक नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। जहां तक धारा 206सी में बनाए गए स्रोत पर संग्रह के प्रतिशत का सवाल है, उन्हें अनुचित या अत्यधिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे अंतिम मूल्यांकन के अधीन केवल अस्थायी संग्रह होंगे। धारा 206सी द्वारा प्रदान किए गए तरीके से कर एकत्र किए जाने के बाद, धारा 28 से 43सी के अनुसार एक नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार पढ़ें, धारा 44AC भी किसी संवैधानिक कमजोरी से ग्रस्त नहीं है। इस प्रकार, धारा 44AC और 206C वैध हैं।

Sat Pal & Co., v. Excise and Taxation Commissioner, Haryana
Section 17, Chandigarh and others (Subhdev Singh Kang, J.)

(10) यहाँ यह उपलेखित करना उचित होगा कि आई.टी.के. अबूबकर व अन्य बनाम भारत संघ वि अन्य, (1989) 177 आईटीआर 358 मामले में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 44एसी और 206सी की वैधता को बरकरार रखा था। इस आधार पर कि इन प्रावधानों को लकड़ी, वन उपज का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के मामलों में आय का आकलन करने और कर की वसूली में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अनुमान के आधार पर लाभ निकालने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में शामिल किया गया था, (देशी शराब), आदि। यह नोट किया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों के पास या तो कोई हिसाब-किताब नहीं था या रखी गई किताबें अनियमित या अधूरी थीं। इसके अलावा, अनुबंध या समझौते के बाद ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना भी कई मामलों में असंभव हो गया। कर संग्रहण

विभाग द्वारा उन व्यक्तियों से शुल्क प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन पाया गया। इसलिए, धारा 44AC और 206C आय के आकलन और कर की वसूली का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं।

(11) ए. संन्यासी राव के मामले (सुप्रा) और आईटीके अबूबकर के मामले (सुप्रा) के अनुपात में अपनाए गए दृष्टिकोण का पालन करना पसंद करते हैं। हमारा मानना है कि जब ए. संन्यासी राव के मामले में सुझाए गए तरीके से पढ़ा जाए, तो धारा 44एसी और 206सी वैध और संवैधानिक हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 276बीबी की संवैधानिक वैधता या संविधान के अनुच्छेद 240 और 258 के उल्लंघन के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया था।

(12) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के लिए निष्पक्षता में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होंने तर्क दिया था कि देशी शराब ठेकेदारों को धारा 44AC और 206C के प्रावधानों के अधीन बनाकर और भारतीय शराब ठेकेदारों को छोड़कर शत्रुतापूर्ण और द्वेषपूर्ण भेदभाव का शिकार बनाया गया था। विदेशी शराब बनाई. ठेकेदारों के दोनों समूह शराब की बिक्री के कारोबार में लगे हुए हैं। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि एक मामले में ठेकेदार देशी शराब बेचते हैं और दूसरे मामले में वे भारत में निर्मित विदेशी शराब बेचते हैं। हम इस विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं. देशी शराब और भारत में बनी विदेशी शराब अलग-अलग विशेषताएं वाली अलग-अलग वस्तुएं हैं। देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी अलग-अलग की जाती है। वे समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करते हैं। दोनों प्रकार की शराबों में अल्कोहलिक शक्ति अलग-अलग होती है। दोनों की कीमतों में काफी अंतर है. दोनों शराब दो अलग और अलग वर्गों में आती हैं। वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से सीधा संबंध है, यानी नशीले पदार्थों के व्यापार का विनियमन और राज्य के लिए राजस्व की कमाई। इस प्रकार देखा जाए तो, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं का विवादित वर्गों पर हमला भी विफल रहता है।

(13) उनकी यह दलील कि दो अलग-अलग राज्यों में देशी शराब की बिक्री में शामिल ठेकेदारों को अलग-अलग दरों पर आयकर का भुगतान करना पड़ सकता है और इस कारण से, विवादित प्रावधान टिकाऊ नहीं हैं, हमें पसंद नहीं आया। हमारे विचार में, आयकर अधिकारी ठेकेदारों के प्रत्येक समूह का मूल्यांकन उनके द्वारा अर्जित आय के आधार पर करेंगे, चाहे व्यवसाय राज्य 'ए' में हो या राज्य 'बी' में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्क में कुछ दम हो सकता था अगर हमने यह माना होता कि धारा 44AC और 206C के प्रावधान, अगर उनके शाब्दिक अर्थ में पढ़े जाएं, वैध थे।

(14) तब यह तर्क दिया गया कि डिस्टिलरी से देशी शराब खरीदने का परमिट प्राप्त करने से पहले एक ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाने वाला उत्पाद शुल्क अनुमानित आय की गणना के उद्देश्य से खरीद मूल्य का एक घटक नहीं हो सकता है। इस तर्क को ए. संन्यासी राव के मामले में खारिज कर दिया गया है और उन्हीं कारणों से, हम इसे खारिज करते हैं।

(15) अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 44एसी के तहत, खरीद मूल्य का 40 प्रतिशत ठेकेदार का मुनाफा और लाभ माना जाता है, तो धारा 206सी के तहत डिस्टिलरी ठेकेदार से 15 प्रतिशत की दर से आयकर नहीं ले सकती है। कुल खरीद मूल्य. अधिक से अधिक, इसे खरीद मूल्य का केवल 40 प्रतिशत ही लिया जा सकता है। यही तर्क ए. संन्यासी राव के मामले में उठाया गया था और इस पर विस्तार से विचार किया गया है और इसे खारिज कर दिया गया है। हम उसमें दिए गए तर्कों और निष्कर्षों से सम्मानजनक सहमत हैं और मानते हैं कि अधिनियम की धारा 44AC और 206C के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर, एक अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि डिस्टिलरी 15 प्रतिशत के बराबर राशि वसूलने की हकदार है, बल्कि बाध्य है। अनंतिम संग्रह के रूप में आयकर के रूप में खरीद मूल्य।

(16) हम यह निष्कर्ष निकालते हैं:

- (1) संसद धारा 44एसी और 206सी अधिनियमित करने के लिए सक्षम थी। इन धाराओं के तहत लगाया जाने वाला कर आय पर कर है न कि खरीदारी पर।
- (2) नीचे दी गई धारा 44एसी धारा 28 से 43सी और 206सी का सहायक है। यहां तक कि देशी शराब ठेकेदारों का भी देशी शराब के कारोबार के संबंध में धारा 28 से 43सी के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन किया जाना है। इस प्रकार पढ़ें, धारा 44AC किसी भी संवैधानिक कमजोरी से ग्रस्त नहीं है।
- (3) धारा 206सी द्वारा प्रदान किए गए स्रोत पर कर का संग्रह खरीद मूल्य से संबंधित है, न कि उसके आय घटक से।

(17) इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण, दो राज्यों पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में डिस्टिलरी को शुल्क लेने और एकत्र करने से रोक दिया गया था।

धारा 44एसी और 206सी के तहत आयकर, हालांकि ऐसा करना कानून द्वारा आवश्यक था। आज तक भी, वे स्रोत पर आयकर नहीं लेते रहे हैं। चूंकि डिस्टिलरीज को इस न्यायालय द्वारा उनके वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोक दिया गया था, इसलिए उन्हें धारा 44AC और 206C में विधायी आदेश का पालन नहीं करने के लिए नागरिक या आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और इस स्कोर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और न ही की जा सकती है। याचिकाकर्ता देश के शराब ठेकेदार इस अंतराल के दौरान डिस्टिलरी से की गई खरीद पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और अधिकारियों द्वारा अंतिम मूल्यांकन तैयार करते समय इसे अंततः समायोजित या ध्यान में रखा जाएगा।

(18) हम लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के शर्तों के तहत निर्धारित रिट याचिकाओं का निपटारा करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरुग्राम, हरियाणा।

आरएनआर

ए.एल. बहरी के समक्ष

श्रीमती. रविकांत, -याचिकाकर्ता।

Sat Pal & Co., v. Excise and Taxation Commissioner, Haryana,
Sector 17, Chandigarh and others (Sukhdev Singh Kang. J.)

बनाम

भूमि अधिग्रहण न्यायाधिकरण, हिसार और अन्य, - प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 738।

25 अगस्त, 1989.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का प्रथम) — ए.एस. 19 और 50(2) - पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 (हरियाणा राज्य पर लागू) - ए.एस. 28(2), 32(1), 36, 38, और 42 — भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 - सुधार ट्रस्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि - सुधार ट्रस्ट एक इच्छुक पार्टी है और उसे संदर्भ मांगने और पुरस्कार को चुनौती देने का अधिकार है - ट्रस्ट कला के तहत रिट याचिका को बनाए रखने के लिए सक्षम है। 226 - बाजार मूल्य तय करने के प्रयोजनों के लिए बेल्टिंग प्रणाली को अपनाना - आवासीय और वाणिज्यिक क्षमता वाली भूमि - बेल्टिंग प्रणाली लागू करना उचित नहीं है - समान दर लागू।